वित्तीय स्वीकृति

संख्या-34/2015/भा0सा0 50/52-3-15-1(137)/08टी0सी0

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊ : दिनांक 12 मई, 2015

विषयः-भारत सरकार द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु धनराशि की स्वीकृति/व्यय करने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-भा0स0 86/52-3-15-सा(39)/14 दिनांक 15.1.2015 के अनुक्रम में तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-11/3/2014-एस0एस0 दिनांक 30.3.2015, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 30.3.2015 के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12551 छत्र/छात्राओं की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु रू0 01,25,51,005/- तथा 359 नये छात्र/छात्राओं की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु रू0 12,62,560/- अर्थात कुल रू0 01,38,13,565/- (रू0 एक करोड़ अठतीस लाख तेरह हजार पाँच सौ पैसठ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2. भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 05,36,85,13,000/- के सापेक्ष रू0 01,38,13,000/- (रू0 एक करोड़ अठतीस लाख तेरह हजार मात्र) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर व्यय हेतु रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैः-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के संबंध में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के संबंध में जहाँ आवश्यक हो, व्यय होने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) जिन शिक्षण संस्थाओं के विरूद्ध छात्रवृत्ति के भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत हो, उनमें उनमें छात्रवृत्ति की अनियमितता की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुये उन शिक्षण संस्थाओं में अध्यनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान, छात्र/छात्राओं का सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

(4) छात्रवृत्ति वितरण में शासनादेश सं0-जी0आई0-74/52-1-14 दिनांक 21.2.2014 तथा शासनादेश सं0-जी0आई0 85/52-1-14, दिनांक 25.2.2014 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र दो माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0101-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्वदशम (प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति) (100 प्रतिशत के0)-21-छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी 1-925/10-2015- 231/2015 दिनांक 30.3.2015 के प्रस्तर-2(14)क में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

संख्या-भा0सा0 50(1)/52-3-15-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोंथी रोड़, नयी दिल्ली 110003
4- मुख्य कोषाधिकारी, केसरबाग, लखनऊ
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ
6- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ
7- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग -11
9- वित्त(संसाधन केन्द्रीय सहायता) अनुभाग
10- कम्प्यूटर आपरेटर अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु
11- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in